बिहार सरकार

जिलाधिकारी-सह-समाहर्ता

18 AUG 2020

पत्रांक-8/सी0-01-पितृपक्ष मेला, 2020-27/2020— 334 (8)/रा0.

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा0प्र0से0
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

फैक्स
ई-मेल

जिला पदाधिकारी,
गया।

पटना-15, दिनांक- 18-8-2020

विषय :- पितृपक्ष मेला, 2020 के आयोजन के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-6453/गो0, दिनांक-11.08.2020

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान परिस्थिति में नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के प्रसार एवं संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पितृपक्ष मेला का आयोजन श्रेयस्कर नहीं है। इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश सं0-40-3/2020-DM-1(A), दिनांक-29.07.2020 के द्वारा कोविड-19 के रोकथाम एवं इसका प्रभावी नियंत्रण के लिए किसी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभा, समागम, अनुष्ठान आदि को प्रतिबंधित किया गया है। भारत सरकार के उक्त निदेश के आलोक में गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-102, दिनांक-30.07.2020 के द्वारा भी बिहार राज्य के लिए उक्त निदेश को तदनुरूप लागू करने हेतु निदेश दिया गया है।

संदर्भित पत्र में यह वर्णित है कि दूसरे राज्य से, जहाँ कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति गंभीर बनी हुई है, पिण्डदान के लिए आने वाले लोगों के कारण संक्रमण का प्रसार बढ सकता है। पिण्डदान के पूजा अनुष्ठान में एक साथ कई लोग परिवार के सदस्य पूजा हेतु बैठते है एवं सीमित रूप में कपड़ा पहना जाता है जिसमें शरीर का अधिकांश भाग खुला रहता है। पिण्डदानी वृद्ध या अधिक उम्र के होते है जिससे कोविड-19 का संक्रमण ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वर्तमान में फल्गु नदि में पानी होने के कारण इसके तल में जाकर पिण्डदान करना संभव नही है। मंदिर प्रागण में भी पर्याप्त जगह नहीं है, जिससे पिण्डदानियों के बीच सामाजिक दूरी का पालन कराया जा सके।

वर्णित तथ्यों के आलोक मे आपके द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि इस वर्ष पितृपक्ष मेला का आयोजन स्थगित रखने का निर्णय लिया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत विभाग द्वारा आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर व्यापक जनहित में अनापत्ति संसूचित की जाती है।

विश्वासभाजन,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव।